पत्रांक– 14 / मु013–356 / 2023 – 2435
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक 21 / 12 / 2023

विषयः– पंडित वेदानंद उमेश मिश्र रामजानकी कॉलेज (संध्याकालीन), महुआ, वैशाली को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के (पास एवं प्रतिष्ठा स्तरो) विभिन्न विषयों में सत्र 2023–26 से स्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद संख्या–10746 / 2023 में दिनांक–07.08.2023 को पारित न्यायादेश तथा विश्वविद्यालय के पत्रांक–B / 966 दिनांक–10.06.2022 के संबध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम 1098 दिनांक–19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक–14.12.2017 एवं पत्रांक–3074 दिनांक–25.10.2019 के आलोक में पंडित वेदानंद उमेश मिश्र रामजानकी कॉलेज (संध्याकालीन), महुआ, वैशाली को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के विभिन्न विषयों में स्नातक पास एवं प्रतिष्ठा स्तर तक शैक्षणिक सत्र 2023–26 से स्थायी संबंधन की सहमति प्रदान की जाती है।

	संकाय	विषय
01	कला (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, ऊर्दू, परसियन, दर्शनशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिविज्ञान, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, गणित, एल0एस0डब्लू0, लोक प्रशासन, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, सगीत एवं समाजशास्त्र (कुल 18 विषय)।
02	विज्ञान संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा):	भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (कुल 06 विषय)।
03	वाणिज्य संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा)	एकाउन्टेंसी, बिजनेस फाईनान्स, बिजनेस इनवॉरमेन्ट, कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन तथा अर्थशास्त्र के सिद्वान्त (कुल 05 विषय)।

प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 20.12.23

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

(हस्ताक्षर)

Scanned with ACE Scanner